<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-205/2020/2422/41-2020-17(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2020

<u>संख्या-154/2020/1804/41-2020-17(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त</u>, <u>2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद लखनऊ स्थित चन्दर नगर गेट(आलमबाग भवन) के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा गठित आगणन के क्रम में महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक- 428/6-1-1(896)/2018 दिनांक 23 अप्रैल 2018 द्वारा रू0-46.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, परन्तु तत्क्रम में शासनादेश सं0-136/2018/1554/41-2018-17(बजट)/2018 दिनांक 20-8-2018 द्वारा टंकण त्रुटिवश रू0-46.70 लाख के स्थान पर रू0**-46.73** लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-23.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। शासनादेश सं0-131/2019/1110/41-2019-17(बजट)/2018 दिनांक 26-3-2019 द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में रू0-21.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, परन्तु तत्समय भी प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि में अंकित त्रुटि का निराकरण नहीं किया जा सका। प्रयोजना की अवशेष धनराशि रू0-2.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-154/2020/1804/41-2020-17(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2020 में उक्त प्रशासकीय स्वीकृति को संशोधित करते हुये रू0-46.73 लाख के स्थान पर रू0-46.70 लाख अंकित करने का प्रयास किया गया , परन्तु पुन: टंकण त्रुटिवश शासनादेश दि0-4-8-2020 के प्रस्तर-2 एवं 3 में संशाधित प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि रू0**-46.70** लाख के स्थान पर रू0-43**.70** लाख अंकित हो गई। उक्त त्रुटि के फलस्वरूप अवमुक्त की गई अवशेष धनराशि के संबंध में विसंगति उत्पन्न होने का उल्लेख महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-2197/6-1-1 (896)/2017-18 दिनांक 01-9-2020 द्वारा किया गया है ।

2. अत: शासनादेश **<u>संख्या-154/2020/1804/41-2020-17(बजट)/2018 दिनांक 04 अगस्त</u>**, **<u>2020</u>** में टंकण त्रुटिवश अंकित रू0-43.70 लाख की धनराशि के स्थान पर **एतद्द्वारा प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-46.70 लाख (रू0 छियालिस लाख सत्तर हजार मात्र)** अंकित की जाती है। तत्क्रम में संदर्भगत शासनादेश दि0-4-8-2020 के प्रस्तर-2 की चतुर्थ पंक्ति एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-3 की छठीं पंक्ति में अंकित धनराशि रू0-43.70 लाख के स्थान पर रू0- 46.70 लाख **(रू0 छियालिस लाख सत्तर हजार मात्र)** पढी जायेगी।

3- तदनुसार शासनादेश दिनांक **04 अगस्त**, **2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

4. यह शुद्धि पत्र वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7- 913/दस-2020 दिनांक 15 सितम्बर 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 205 /2020/2422/41-2020-17(बजट)/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 , प्रखण्ड -1, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी , लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in